भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2964
18 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: फलों और सब्जियों के लिए शीतागारों की **सुविधा**

2964. श्री के. गोपीनाथ:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) फलों और सब्जियों के भंडारण के लिए देश में उपलब्ध शीतागार सुविधाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में शीतागार सुविधा की आवश्यकता और कमी का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के दौरान अब तक संवर्धित शीतागार सुविधाओं का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): फलों और सब्जियों के भंडारण के लिए देश में उपलब्ध शीतागार (कोल्ड स्टोरेज) सुविधाओं का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में है।

(ख): वर्ष 2015 में प्रकाशित नैबकॉन्स की रिपोर्ट शीर्षक "ऑल इंडिया कोल्ड-चेन इन्फ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी (एआईसीआईसी-2015)" के अनुसार देश में शीतागार (कोल्ड स्टोरेज) सुविधा की आवश्यकता का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध -II** में दिया गया है।

(ग): वर्ष 2022-23, वर्ष 2023-24 और वर्ष 2024-25 के दौरान अब तक संवर्धित शीतागार (कोल्ड स्टोरेज) सुविधा का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-III** में दिया गया है।

लो.स.अता.प्र.सं.2964

अनुबंध-I

31.01.2025 **तक फलों और सब्जियों के भंडारण के लिए देश में उपलब्ध कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं का राज्य-वार विवरण**

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजना की संख्या	क्षमता (मीट्रिक टन में)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (यूटी)	4	2210
2	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	480	1996340
3	अरुणाचल प्रदेश	2	6000
4	असम	43	206742
5	बिहार	316	1490200
6	चंडीगढ़ (यूटी)	7	12462
7	छत्तीसगढ	130	577663
8	दिल्ली	97	129857
9	गोवा	29	7705
10	गुजरात	1023	4042770
11	हरियाणा	386	870703
12	हिमाचल प्रदेश	89	181318
13	जम्मू एवं कश्मीर	92	151833
14	झारखंड	59	242655
15	कर्नाटक	268	912417
16	केरल	202	96655
17	लक्षद्वीप (यूटी)	1	15
18	मध्य प्रदेश	320	1381827
19	महाराष्ट्र	665	1219851
20	मणिपुर	2	4500
21	मेघालय	4	8200
22	मिजोरम	3	4071
23	नागालैंड	5	8150
24	उड़ीसा	182	579321
25	पांडिचेरी (यूटी)	4	185
26	पंजाब	770	2604206
27	राजस्थान	190	648908
28	सिक्किम	2	2100
29	तमिलनाडु	188	399690
30	तेलंगाना	116	617131
31	त्रिपुरा	14	46354
32	उत्तर प्रदेश	2488	15096476
33	उत्तराखंड	62	206848
34	पश्चिम बंगाल	517	5952997
	कुल	**8760**	**39708361**

(स्रोत: विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (डीएमआई) 2009 तक, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी), राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम), पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन (एचएमएनईएच) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय।

लो.स.अता.प्र.सं.2964

अनुबंध – II

नैबकॉन्स रिपोर्ट के अनुसार देश में कोल्ड स्टोरेज सुविधा की आवश्यकता का राज्य-वार विवरण

राज्य	कोल्ड स्टोरेज की आवश्यक क्षमता
आंध्र प्रदेश	530925
अरूणाचल	7508
असम	71996
बिहार	5123982
छत्तीसगढ	513830
दिल्ली	40122
गोवा	2271
गुजरात	2239476
हरियाणा	240395
हिमाचल प्रदेश	306147
जम्मू एवं कश्मीर	907842
झारखंड	24951
कर्नाटक	210313
केरल	45874
एमपी	1867179
महाराष्ट्र	157709
मणिपुर	5062
मेघालय	18704
मिजोरम	8920
नागालैंड	8675
ओडिशा	305500
पंजाब	1693408
राजस्थान	53395
सिक्किम	2621
तमिलनाडु	194640
तेलंगाना	277129
त्रिपुरा	8554
उत्तर प्रदेश	10675137
उत्तराखंड	72931
पश्चिम बंगाल	9480929
यूटी एवं अन्य	4539
कुल	**35100664**

अनुबंध – III

देश में 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के दौरान संवर्धित कोल्ड स्टोरेज सुविधा का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	2022-23		2023-24		2024-25	
		परियोजना की संख्या	क्षमता मीट्रिक टन में	परियोजना की संख्या	क्षमता मीट्रिक टन में	परियोजना की संख्या	क्षमता मीट्रिक टन में
1	आंध्र प्रदेश	26	165961	19	162059		
2	असम	2	9646				
3	बिहार	1	890	3	13643		
4	छत्तीसगढ	21	66570	7	23831		
5	गुजरात	10	39738	28	129459		
6	हरियाणा	6	8341	4	15774		
7	हिमाचल प्रदेश	5	5529	3	8477		
8	जम्मू एवं कश्मीर	5	20088	3	20956	5	24496
9	झारखंड	1	5975				
10	कर्नाटक	14	94339	23	104237	2	18850
11	केरल	1	250				
12	मध्य प्रदेश	4	22035	3	16752	3	17307
13	महाराष्ट्र	23	81938	11	45352	9	52886
14	उड़ीसा	3	7000				
15	पांडिचेरी (यूटी)	1	100				
16	पंजाब	25	69661	20	59269		
17	राजस्थान	2	10655	1	6684		
18	तमिलनाडु	1	3750				
19	तेलंगाना	7	32764	9	85000	1	8096
20	उत्तर प्रदेश	28	122059	29	121477	3	18205
21	उत्तराखंड			1	227		
22	पश्चिम बंगाल			2	4681		
		186	**767289**	**166**	**817878**	**23**	**139841**

(स्रोत: राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी), राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम), पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन (एचएमएनईएच)) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई)

*****